संख्याः1–10/2005 (एस) एस0जे0ई0 – 3427 से 3439
निदेशालयः अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक,
एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण (हि0प्र0)

प्रेषित,

समस्त जिला कल्याण अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– 22 मार्च 2018 शिमला–09

SCs, OBCs, & MINORITY AND THE SPECIALLY ABLED
23 MAR 2018
KASUMPTI SHIMLA-9

विषयः– जिला कल्याण समिति के पुर्नगठन की अधिसूचना भेजने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के संदर्भ सरकर पत्रांक कल्याण – A(4)-16/1979-IV शिमला दिनांक 14. मार्च 2018 द्वारा अधिसूचित (प्रति संलग्न) अनुसार जिला कल्याण समिति का गठन एवं मनोनयन किया गया है। जिसके दृष्टिगत आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप आगामी आश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अपने जिला से सम्बन्धित मनोनीत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव एवं सदस्यों को भी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। अतः कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को भी अवगत करवाऐं।

संलग्न :उपरोक्त :–

संयुक्त निदेशक
अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक,
एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकनःसंख्याः– उपरोक्त– 3427-39 दिनांकः 22 मार्च 2018 शिमला–171009

प्रतिलिपः अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके कार्यालय पत्रांकः कल्याण – A(4)-16/1979-IV शिमला दिनांक 14. मार्च 2018 के सम्बन्ध सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक
अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक,
एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग

संख्याः कल्याण-A(4)-16/1979-IV शिमला, दिनांक 14-03-2018

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.01.2012 एवं 20.07.2013 का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए जिला कल्याण समिति का निम्न प्रकार से गठन/ मनोनयन करने का सहर्ष आदेश करते हैः—

क0सं0	अध्यक्ष का नाम	पद	जिला
1	श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष	जिला शिमला
2	डा0 राजीव सैजल, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री	अध्यक्ष	जिला सोलन
3	डा0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा	अध्यक्ष	जिला सिरमौर
4	श्री अनिल शर्मा, माननीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री	अध्यक्ष	जिला किन्नौर
5	श्री विपन सिंह परमार, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री	अध्यक्ष	जिला बिलासपुर
6	श्री महिन्द्र सिंह ठाकुर, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री	अध्यक्ष	जिला मण्डी
7	श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, माननीय वन मन्त्री	अध्यक्ष	जिला कुल्लू
8	श्री किशन कपूर, माननीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री	अध्यक्ष	जिला कांगड़ा
9	श्री हंस राज, माननीय उपाध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा	अध्यक्ष	जिला चम्बा
10	श्री बिक्रम सिंह, माननीय उद्योग मन्त्री	अध्यक्ष	जिला हमीरपुर
11	श्री वरिन्द्र कंवर, माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मन्त्री	अध्यक्ष	जिला ऊना
12	डा0 राम लाल मारकण्डा, माननीय कृषि मन्त्री	अध्यक्ष	जिला लाहौल-स्पीति

2. गैर सरकारी सदस्य

1. सम्बन्धित जिला के समस्त सांसद राज्य/लोक सभा — सदस्य
2. सम्बन्धित जिला के समस्त विधायक — सदस्य
3. सम्बन्धित जिला के समस्त नगर पंचायत, नगर परिषद् नगर निगम के प्रधान/मेयर — सदस्य

2. सरकारी सदस्य

1. सम्बंधित जिला के उपायुक्त — उपाध्यक्ष
2. सम्बंधित जिला के समस्त उप मंडलाधिकारी — सदस्य
3. महप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र — सदस्य
4. सम्बंधित उप निदेशक उच्च शिक्षा — सदस्य

5. सम्बंधित उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा — सदस्य
6. सम्बंधित परियोजना अधिकारी डी. आर. डी. ए — सदस्य
7. सम्बंधित जिला पंचायत अधिकारी — सदस्य
8. सम्बंधित जिला के समस्त तहसील कल्याण अधिकारी — सदस्य
9. सम्बंधित जिला के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी — सदस्य
10. सम्बंधित जिला के बाल विकास परियोजना अधिकारी — सदस्य
11. सम्बंधित जिला के समस्त जिला कल्याण अधिकारी — सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति में भाग लेने वाले गैर–सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5 <u>समिति का कार्यकाल:–</u> समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा लेकिन समिति के गैर सरकारी सदस्यों सांसद विधायक प्रधान मेयर का आधिकारिक लोकसभा/राज्यसभा नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के कार्यकाल के समरूप होगा।

6 <u>जिला कल्याण समिति के क्रिया कलाप:–</u>

1. समस्त कल्याण योजनाओ के अंतर्गत सम्बंधित जिला को आंबटित बजट के प्रस्ताव समिति के सम्मुख रखे जाएगें तथा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य/योजना के नियमो के अंतर्गत प्रस्ताव अनुमोदित किये जाएगें। समिति के प्रथम बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मई माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित करवाई जायगी ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति त्रैमासवार सुनिश्चित हो सके।
2. समिति का कार्य परामर्श देने का है, समिति के सदस्यों के सुझाव आवश्यकता अनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागों को अनुमोदनार्थ भेजे जाएगें।
3. योजनाओ के कार्यन्वयन के लिए जहॉ समिति उचित समझे अपना मार्गदर्शन दे सकती है तथा यदि योजना के नियमो में ऐसा प्रावधान न हो तो सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी समिति की अनुशंसा को विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को अनुमोदनार्थ भेज सकती है।
4. कल्याण योजनाओं के कार्यन्वयन में लाभार्थीयों की पहचान इत्यादि जैसे आवश्यक मामलों में यदि अन्य विभागों के सहयोग की आवश्यकता हो तो उनके जिला अधिकारियों को विशेष रुप में आमंत्रित करके लाभार्थियों की पहचान का कार्य पूर्ण करवाने हेतु समिति में रखा जा सकता है।
5. समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा जनवरी माह में एक बार आवश्य की जाएगी।
6. यदि कोई मामला जो निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रुप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0 प्र0 विभाग या उपायुक्त/ अध्यक्ष विचार हेतु आवश्यक समझे, उसे समिति के सम्मुख रखा जा सकता है।

आदेश द्वारा

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्या0 एंव अधि0 विभाग),
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन सं. कल्याण.-A(4)-16/1979-IV शिमला — दिनांक 14-03-2018

1 समस्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2।
2 सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3 समस्त लोकसभा /राज्यसभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश।
4 समस्त विधायक, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश।
5 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधान सभा, हिमाचल प्रदेश।
6 समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
7 समस्त उप मण्डलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

8 समस्त उप निदेशक उच्च / प्राथमिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।
9 समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
10 समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
11 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
12 समस्त जिला उद्योग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
13 समस्त मेयर, नगर निगम, हिमाचल प्रदेश।
14 समस्त प्रधान, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, हिमाचल प्रदेश ।
15 नियंत्रक व मुद्रण लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश।

विशेष सचिव (सा० न्या० एंव अधि० विभाग),
हिमाचल प्रदेश सरकार